भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांकः 21 मार्च, 2006

सं. 301–2/2006–इको– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) (बी) (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एतद्द्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में आगे निम्न संशोधन करता हैः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभः–
   - (i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (तेंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2006" (2006 का 3) कहा जाएगा।
   - (ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999, जिसे यहां इसके बाद दूरसंचार टैरिफ आदेश कहा गया है, के खण्ड 6 (लोचशीलता तथा पैकेज) में खण्ड III के अंतर्गत उपखण्ड (v) से (vii) की विषयवस्तु के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(v) अभिगम प्रदाता द्वारा एक बार प्रस्तावित टैरिफ योजना को सब्सक्राइबर के लिए उसे इनरॉल किए जाने की तारीख से कम से कम 6 माह के लिए उपलब्ध रखा जाएगा। परन्तु, कोई ऐसी टैरिफ योजना जो 6 माह से ज्यादा की किसी निर्धारित अवधि के लिए वैध हो या जिसे पहले (अपफ्रन्ट) भुगतान के बदले लाइफटाइम अथवा अनलिमिटेड वैधता के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, विपणन किया गया हो, अथवा पेश किया गया हो वह सब्सक्राइबर को उस अवधि तक उपलब्ध रहेगी जब तक के लिए योजना में निर्धारित हो और लाइफटाइम अथवा

असीमित वैधता वाली योजनाओं के मामले में इसे तब तक उपलब्ध किया जाएगा जब तक वर्तमान लाइसेंस अथवा नवीकृत लाइसेंस के अन्तर्गत ऐसे दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता को अनुमति दी जाती है। लाइफटाइम वैधता तथा असीमित वैधता वाली योजनाओं के मामले में सेवा प्रदाता, सब्क्राइबरों को वर्तमान लाइसेंस समाप्त होने के माह और वर्ष के बारे में भी सूचित करेगा।

(vi) उक्त टैरिफ योजना में सब्सक्राइबर उक्त 6 माह की अवधि अथवा उक्त जीवनपर्यन्त की वैधता अवधि के दौरान भी कोई अन्य टैरिफ योजना का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा। योजना में परिवर्तन करने के सभी अनुरोधों को तत्काल अथवा अगले बिल चक्र के प्रारंभ से स्वीकार किया जाएगा और उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

(vii) किसी अन्य टैरिफ योजना के मामले में अभिगम प्रदाता किसी भी समय टैरिफ घटाने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु अभिगम प्रदाता द्वारा टैरिफ योजना में कोई टैरिफ मद नहीं बढ़ाई जाएगीः

(क) ऐसी टैरिफ योजनाओं के मामले में जिनकी वैधता अवधि 6 माह से ज्यादा हो, जिसमें लाइफटाइम तथा असीमित वैधता वाली टैरिफ योजनाएं भी शामिल हैं, और जिनके सब्सक्राइबर द्वारा ऐसी वैधता अवधि के लिए पहले (अपफ्रंट) भुगतान किया गया है, टैरिफ योजना में विनिर्दिष्ट वैधता की पूरी अवधि के लिए,

(ख) किसी ऐसी अन्य टैरिफ योजनाओं के मामले में सब्सक्राइबर के लिए उसे इनरॉल किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर,

(ग) किसी टैरिफ योजना के अन्तर्गत 6 माह से ज्यादा की वैधता वाले रि–चार्ज कूपनों के मामले में ऐसे रि–चार्ज कूपन की वैधता की पूरी अवधि के लिए।

3. सामान्यः–

इस आदेश के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह होने की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

इस आदेश के अनुबंध 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं।

आदेशानुसार

(एम. कन्नन)
सलाहकार (आर्थिक)

अनुबंध–क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

दिसम्बर, 2005/जनवरी, 2006 माह में अधिकांश मोबाइल ऑपरेटरों ने लाइफटाइम वैधता वाली टैरिफ योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में सब्सक्राइबरों को अनिश्चित काल के लिए इनकमिंग कॉल प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

2. प्राधिकरण ने एक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की, जो अब पूरी हो गई है। उपभोक्ता संगठनों ने 'लाइफटाइम वैधता' शब्द स्पष्ट करने पर जोर दिया क्योंकि इसको लेकर सब्सक्राइबरों के मन में बहुत से संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। सेवा प्रदाता की लगभग एकमत राय थी कि 'लाइफटाइम', लाइसेंस की अवधि से आगे के लिए इसका विस्तार नहीं हो सकता। बहरहाल, कुछ ऑपरेटरों ने सुझाव दिया है कि लाइफटाइम वैधता योजनाओं के अर्न्तगत सेवाएं लाइसेंस की वर्तमान अवधि से आगे भी जारी रखी जा सकती हैं, बशर्ते कि लाइसेंसों का नवीकरण किया जाए।

3. प्राधिकरण ने नोट किया है कि किसी भी सेवा प्रदाता ने सब्सक्राइबर को स्पष्टतः वर्तमान लाइसेंस के समाप्ति के वर्ष के बारे में सूचित नहीं किया है। बहुत से ऑपरेटरों ने यह भी संकेत नहीं दिया है कि लाइफटाइम योजनाएं उनके वर्तमान लाइसेंस की अवधि तक के लिए ही हैं। आम सब्सक्राइबर के मन में यह धारणा है कि यह योजना अनिश्चित काल तक/असीमित वैधता की है जिसपर समय का कोई प्रतिबंध नहीं हैं। सब्सक्राइबरों के लिए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सेवा प्रदाता अपने संर्वधन साहित्य/विज्ञापनों में वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति का माह और वर्ष भी दें।

4. लाइमटाइम वैधता की अवधारणा का आशय यह हो सकता है कि उस समय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है जिसमें टॉक टाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह भी कि

सब्सक्राइबर अनिश्चित काल के लिए अर्थात् जीवनभर के लिए इनकमिंग कॉल प्राप्त करते रहेंगे। चूंकि ये योजनाएं लाइफटाइम वैधता के रूप में घोषित की जाती हैं और इनका विपणन भी उसी रूप में किया जाता है और सब्सक्राइबर से इसी आधार पर अपफ्रन्ट भुगतान प्राप्त किया जाता है इसलिए सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे वैधता को तब तक बढ़ाएं जब तक उन्हें वर्तमान लाइसेंस अथवा नवीकृत लाइसेंस के अन्तर्गत दूरसंचार सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। दूरसंचार टैरिफ आदेश में यह संशोधन सेवा प्रदाताओं के इस दायित्व को स्पष्ट करने के लिए किया जा रहा है कि वे लाइफटाइम टैरिफ योजनाओं के सब्सक्राइबरों को ऐसी वैधता प्रदान करना जारी रखेंगे। इस संदर्भ मे प्राधिकरण ने अपने 16.09.2005 के निर्देशों का स्मरण कराया है जिसमें इसने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि कोई टैरिफ योजना इस प्रकार से पेश, प्रस्तुत, विपणित तथा विज्ञापित नहीं की जाएगी जिससे सब्सक्राइबर भ्रमित हों। प्राधिकरण की यह राय है कि टैरिफ योजनाओं के ऐसे शीर्षक जिनसे भ्रम हो या जिनसे भ्रम पैदा होने की संभावना हो उन्हें पारदर्शिता की कमी वाला माना जाएगा। इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी अनिवार्य किया कि किसी विशिष्ट वैधता अवधि वाली कोई टैरिफ योजना सब्सक्राइबरों को वचनबद्धता की पूरी वैधता अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी।

5. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 2004 (31वां संशोधन) जिसे, 7 जुलाई, 2004 को अधिसूचित किया गया था, के अनुसार किसी योजना में कोई टैरिफ मद, उस योजना को सब्सक्राइबर के लिए इनरॉल किए जाने की तारीख से कम से कम 6 माह की अवधि के दौरान नहीं बढ़ाया जाएगा। इस संशोधन आदेश में भी सब्सक्राइबर के किसी भी समय कोई भी टैरिफ योजना के चयन करने के अधिकार को दोहराया गया है। ये प्रावधान किसी ऑपरेटर द्वारा पेश किए गए सामान्य टैरिफ योजनाओं के मामले में लागू होंगे। इस तथ्य को देखते हुए कि ऑपरेटरों ने बाद में ऐसी टैरिफ योजनाएं शुरू की हैं, जिनकी वैधता की विशिष्ट अवधि लम्बी है, इनमें वे योजनाएं भी शामिल हैं जिनकी लाइफटाइम वैधता/अनलिमिटेड वैधता आदि है, यह आवश्यक है कि ऐसी योजनाओं की वैधता अवधि के दौरान टैरिफ मदों में किसी भी प्रकार की वृद्धि से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। खासतौर पर इसे देखते हुए कि ऐसी योजनाओं में

लम्बी अवधि के बदले में सब्सक्राइबर ने पहले भुगतान किया है। चूंकि ऐसी योजनाओं में अपफ्रन्ट भुगतान किया गया होता है इसलिए सब्सक्राइबर का यह अधिकार कि वह अपनी पसंद के किसी टैरिफ योजना को अपना ले, एक सीमा तक प्रतिबंधित हो जाता है और उसे जब तक इस योजना को छोड़ने के लिए कोई समुचित विकल्प उपलब्ध न हों, अपफ्रन्ट भुगतान को छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जब सब्सक्राइबर उसी टैरिफ योजना में ही रहे तो सेवा प्रदाता के किसी कृत्य के कारण सब्सक्राइबरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

6. एक उद्योग संगठन ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि दूरसंचार टैरिफ आदेश (31वां संशोधन) के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि सेवा प्रदाताओं को केवल यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि किसी योजना में कोई मद उस योजना को सब्सक्राइबर के लिए इनरॉल किए जाने की तारीख से कम से कम 6 माह के भीतर बढ़ाई नहीं जाएगी। अतः उनकी राय है कि प्राधिकरण के लिए यह सुझाव देना गलत, अनुचित तथा अवांच्छनीय होगा कि सेवा प्रदाताओं द्वारा एक बार शुरू की गई टैरिफ योजना में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस उद्योग संगठन ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह टीटीओ (31 वां संशोधन) में संशोधन न करे।

7. प्राधिकरण ने उद्योग संगठन की राय पर विचार किया और उसकी राय है कि विभिन्न ऑपरेटरों ने विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर लाइफटाइम वाली टैरिफ योजनाएं, उनकी घोषित विशेषताओं के साथ प्रस्तुत की हैं। इसके अलावा, यह समझना महत्वपूर्ण है कि दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने की लागत घट रही है और अतः इस संबंध में यह आशंका कि भविष्य में सेवाएं मुहैया कराने की लागत बढ़ेगी सही नहीं है। प्राधिकरण की यह भी राय है कि उद्योग संगठन द्वारा उल्लिखित आशंका के सही होने की स्थिति में इस संशोधन के प्रावधानों की समीक्षा की जा सकती है।

8. दूरसंचार टैरिफ आदेश के प्रावधानों में यह परिकल्पना की गई है कि कोई सब्सक्राइबर (लाइफटाइम पैकेज के सब्सक्राइबरों सहित) माइग्रेशन प्रभारों का भुगतान किए बिना किसी अन्य टैरिफ योजना, जो उपलब्ध हो, को अपना सकता है। बहरहाल, ऑपरेटरों द्वारा कार्यान्वित पैकेजों में योजना छोड़ने की स्थिति में अपफ्रन्ट भुगतान की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसी योजनाओं के सब्सक्राइबरों द्वारा कोई अन्य योजना का स्वतंत्र रूप से चयन करने के मामले में लोचशीलता प्रतिबंधित होती है। उन मामलों में भी सब्सक्राइबरों द्वारा किसी अन्य योजना का स्वतंत्र रूप से चयन करने के मामले में भी ऐसे ही प्रतिबंध मौजूद रहते हैं जिनमें सब्सक्राइबर लम्बी अवधि के लिए अपफ्रंट भुगतान करते हैं। अन्य योजनाओं को अपनाते समय अपफ्रन्ट भुगतान का परित्याग एक तरीके से इस प्रकार के मामलों में बाधक माना जा सकता है। लाइफटाइम पैकेज तथा अन्य योजनाओं जिनकी वैधता अवधि लम्बी हो के सब्सक्राइबर कुछ मूल कारणों से अपफ्रन्ट भुगतान करते हैं, जिसमें अनिश्चित काल के लिए इनकमिंग कॉलों की सुविधा, कॉल प्रभार और अभिदान के समय उसे प्रदान की गईं कुछ अन्य विशेषताएं शामिल हैं, इसलिए वे 31वें संशोधन में परिकल्पित 6 माह की अवधि के आगे भी सुरक्षा प्रदान किए जाने के पात्र हैं। अतः प्राधिकरण का यह विचार है कि ऐसी स्थिति में सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है जब लम्बी अवधि की वैधता वाली टैरिफ योजनाओं, जिनमें लाइफटाइम वाली योजनाएं भी शामिल हैं, में टैरिफ और अन्य घोषित विशेषताओं में परिवर्तन किया जाता है और वचनबद्धता की वैधता अवधि के दौरान सब्सक्राइबर घाटे की स्थिति में आ जाते हैं।